राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली (राजस्थान)

विविध :: 19/2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
आदर्श को–ऑपरेटिव बैंक लि. मैन बाजार, सुमेरपुर जिला पाली 306902		1. श्री पराग कुमार गर्ग पुत्र प्रेमनारायण, 10/57, सिविल लाईनस्, अजमेर (राजस्थान) 305001 2. श्रीमती बीना गर्ग पत्नी प्रेम नारायण गर्ग (प्रेम नारायण गर्ग पुत्र शंकरलाल गर्ग के विधिक उतराधिकारी) 10/57, सिविल लाईनस् अजमेर (राजस्थान) 305001 3. श्री रवि गोयल पुत्र श्री ओमप्रकाश गोयल, ऑमनी हाउस, कोर्ट के सामने, जयपुर रोड, अजमेर (राजस्थान) 305001 4. श्री सुरेन्द्रसिंह शेखावत पुत्र बद्रीसिंह शेखावत, बी 2, मधुबन कॉलोनी, नका मदार, अजमेर (राजस्थान) 305001 6. मैसर्स छोगालाल मोतीलाल (साझेदारी फर्म) साझेदार – 1 श्रीमती बीना गर्ग पत्नी प्रेमनारायण गर्ग (प्रेमनारायण गर्ग पुत्र शंकरलाल गर्ग के विधिक उतराधिकारी) एवं श्री पराग कुमार गर्ग पुत्र प्रेम नारायण नया बाजार, अजमेर (राजस्थान) 305001

जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 **(The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002)**

आदेश

दिनांक : 12/03/2020

प्रार्थी बैंक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रार्थी बैंक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया कि अप्रार्थी संख्या 1 बैंक के ऋणी है तथा अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 व 5 बैंक के जमानती है। अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 17.04. 2017 को 35,00,000/–(अक्षरे पैतीस लाख रूपये) अपनी वित्तिय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवेदन कर ऋण प्राप्त किया तथा ऋणी/जमानती ने उपरोक्त ऋण व उस पर देय ब्याज व खर्चों के लिए अपनी प्रतिभूतिस्वरुप अचल सम्पति जो अप्रार्थी संख्या 01 मैसर्स छोगालाल मोतीलाल के नाम भारमुक्त आवासीय/व्यापारिक सम्पति दुकान सॉप नम्बर 4, एएमसी न. 546/60, नया कपड़ा मार्केट, पाली जिला पाली, राजस्थान स्थित है जिसका क्षेत्रफल 487.50 वर्ग फीट है। जिसके उत्तर में नाल व दूसरी सम्पती, दक्षिण दुकान न. 5, पूर्व में रास्ता व आम गली एवं पश्चिम में फुटपाथ व आम रास्ता है। अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण इकरारनामा व साम्य मूलक बंधक सृजन करने का पत्र आदि दस्तावेजात पर अपने हस्ताक्षर कर निष्पादित किया।

क्रमश पृष्ठ :: 2

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अप्रार्थीगण ने ऋण प्राप्त करने के पश्चात ऋणी / जमानती ने ऋण इकरारनामा की शर्तो के अनुरुप ऋण खाते का संचालन नहीं किया जबकि अप्रार्थीगण को अपने उपरोक्त ऋण खाते का संचालन निष्पादित इकरारनामा के शर्तो के अनुरूप करना था। अप्रार्थीगण ने अपने स्वामित्व की सम्पति को प्रार्थी बैंक के पास जरिये Mortgage by deposit of title deed के बंधक रखा। अप्रार्थी ने ऋण अनुबन्ध शर्तो के अनुरूप उक्त खाते में लेनदेन नहीं किया एवं इकरारनामा की शर्तो के अनुरूप देय राशि व ब्याज का भुगतान नहीं किया जो ऋण अनुबंध का स्पष्ट उल्लंघन हैं। अप्रार्थीगण को उक्त आर्डिनेंस की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस दिनांक 27.01.2020 को देकर बकाया राशि मय ब्याज के 26,01,716 / – (अक्षरे छब्बीस लाख एक हजार सात सौ सोलह रूपये) के मांग हेतु नोटिस दिया गया। देय नोशनल ब्याज व खर्चों की मांग की गई लेकिन ऋणी ने प्रार्थी बैंक को देय समस्त राशि का भुगतान नोटिस देने के उपरान्त भी नियत अवधि में नहीं किया। अतः अप्रार्थीगण द्वारा इस ऋण के लिये बतौर प्रतिभूतिस्वरूप बंधक रखे गये स्वामित्व की सम्पतिं का कब्जा एवं इससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को भी प्रार्थी बैंक को दिलाया जावें।

पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी बैंक नें अप्रार्थीगण को अपनी वित्तिय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 17.04.2017 को 35,00,000 / –(अक्षरे पैतीस लाख रूपये) का ऋण दिया उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेजात तैयार कर अपने हस्ताक्षर के प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये। प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार ऋण वसूली के लिये ऑर्डिनेन्स की धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किया। नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण ने बैंक को ऋण राशि का भुगतान नहीं किया। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पति को प्रार्थी के कब्जें में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान हैं। जो इस प्रकार हैं :

14. Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset - (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated or found, to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him --

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto; and

(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पाली को भेजकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति स्वरूप अपने स्वामित्व की सम्पति जो ऊपर वर्णित किया हैं, के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, पाली को निर्देशित करें कि वे उक्त भूमि का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी बैंक को संभलाकर पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की एक प्रति थानाधिकारी, कोतवाली पाली जिला पाली एवं प्रार्थी को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं पालनार्थ प्रेषित की जावें।

आदेश सुनाया गया ।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला मजिस्ट्रेट, पाली
जिला मजिस्ट्रेट, पाली

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.06.2020	प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पेश कर निवेदन किया कि पूर्व में उनके द्वारा न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश किया गया था, जो न्यायालय में प्रकरण संख्या 19/2020 दर्ज किया जाकर दिनांक 12.03.2020 को आदेश पारित किया जा चुका है। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने लिपिकीय त्रुटि से अनवान में आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि., कचहरी रोड, अजमेर के स्थान पर आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि., मैन बाजार सुमेरपुर अंकित कर दिया तथा न्यायालय द्वारा भी प्रार्थी के रूप में आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि., मैन बाजार सुमेरपुर के रूप में दर्ज कर आदेश पारित कर दिया गया है। अतः प्रार्थी बैंक आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि. के पत्ते में गई त्रुटि सुधारने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया जावे। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पार्थना पत्र एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण को ऋण आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि., कचहरी रोड, अजमेर द्वारा ही दिया गया है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया गया अंकन लिपिकीय त्रुटि से ही हुआ है। जिसका संशोधन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 व 152 के तहत किया जा सकता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सी.पी.सी. 1908 को स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिए जाते है कि फर्द अहकाम एवं आदेश दिनांक 12.03.2020 में आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि., मैन बाजार सुमेरपुर जिला पाली 306902 की जगह आदर्श को–ओपरेटिव बैंक लि., कचहरी रोड, अजमेर संशोधित किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र में तद्नरूप लाल स्याही से संशोधन अंकित किया जावें। यह आदेश इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 19/2020 में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 12.03.2020 का भाग समझा जावे। पूर्व में जारी आदेश के साथ इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक पाली, थानाधिकारी पुलिस थाना, कोतवाली पाली एवं प्रार्थी को प्रेषित की जावे। जिला मजिस्ट्रेट, पाली	